न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री प्रमोद कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 235/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
चौखाराम पुत्र भीयाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. मुकनाराम पुत्र रायमल उम्र 70 वर्ष 2. मोतीराम पुत्र पुरखाराम उम्र 65 वर्ष 3. जेहाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 60 वर्ष 4. गोरधनराम पुत्र ताजाराम उम्र 30 वर्ष 5. नारणाराम पुत्र ताजाराम उम्र 35 वर्ष 6. भूराराम पुत्र ताजाराम उम्र 40 वर्ष 7. भैराराम पुत्र ताजाराम उम्र 47 वर्ष जातियान जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 8. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिणधरी जिला बालोतरा 9. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार विप्रार्थी संख्या 9 की ओर से उपस्थित।

3.विप्रार्थी संख्या 01 से 8 एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 16.01.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:17 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की [illegible] खसरा नम्बर 90/9 रकबा 4.9106 हैक्टेयर ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पायलाखुर्द [illegible] सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी [illegible] खसरा संख्या 52/2 रकबा 4.1583 हैक्टयर ग्राम श्रीराम नगर पटवार मण्डल पांयलाखुर्द [illegible] विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 90/6 रकबा 3.1956 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 3 के खसरा संख्या 90/7 रकबा 2.0710 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 4 से 7 के खसरा संख्या 90/8 रकबा 6. 7552 हैक्टेयर ग्राम निम्बली पटवार मण्डल पांयलाखुर्द तहसील सिणधरी भूमि आये हुए है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सडक तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पडता है। विप्रार्थीगण बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है और काश्त के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थीगण कदीमी रास्ते से चलनें से रोक टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पडता है.और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है.क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम श्रीराम नगर व निम्बली तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 52/2, 90/6, 90/7 व 90/8 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 8 बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 90/9 रकबा 4.9106 हैक्टेयर ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पायलाखुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 52/2 रकबा 4.1583 हैक्टयर ग्राम श्रीराम नगर पटवार मण्डल पांयलाखुर्द व विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 90/6 रकबा 3.1956 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 3 के खसरा संख्या 90/7 रकबा 2.0710 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 4 से 7 के खसरा संख्या 90/8 रकबा 6.7552 हैक्टेयर ग्राम निम्बली पटवार मण्डल पांयलाखुर्द तहसील सिणधरी भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है और काश्त के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थीगण कदीमी रास्ते से चलनें से रोक टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है... उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 से 7 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:17 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी संख्या 9 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

6.**हमनें** उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपने खातेदारी के खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 52/2 रकबा 4.1583 हैक्टयर ग्राम श्रीराम नगर पटवार मण्डल पांयलाखुर्द व विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 90/6 रकबा 3.1956 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 3 के खसरा संख्या 90/7 रकबा 2.0710 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 4 से 7 के खसरा संख्या 90/8 रकबा 6.7552 हैक्टेयर ग्राम निम्बली पटवार मण्डल पांयलाखुर्द तहसील सिणधरी भूमि से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 01.12.2023 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र कमांक 100/11.01.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी जोत में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 52/2 रकबा 4.1583 हैक्टयर ग्राम श्रीराम नगर पटवार मण्डल पांयलाखुर्द व विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 90/6 रकबा 3.1956 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 3 के खसरा संख्या 90/7 रकबा 2.0710 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 4 से 7 के खसरा संख्या 90/8 रकबा 6.7552 हैक्टेयर ग्राम निम्बली पटवार मण्डल पांयलाखुर्द तहसील सिणधरी में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है,इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। ऐसी सूरत में तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है। इस प्रकार रास्ते हेतु मौजा श्रीराम नगर के खेत खसरा संख्या 52/2 में लम्बाई 22 गढा व चौड़ाई 03 गढा क्षेत्रफल 0.0267 हैक्टयर व ग्राम निम्बली के खेत खसरा संख्या 90/6 में लम्बाई 100 गढा व चौड़ाई 03 गढा क्षेत्रफल 0.1213 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90/7 में लम्बाई 56 गढा व चौड़ाई 03 गढा क्षेत्रफल 0.0680 हैक्टयर व खसरा नम्बर 90/8 में लम्बाई 10 गढा व चौड़ाई 03 गढा क्षेत्रफल 0.0121 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि मौजा श्री... की डी.एल.सी. दर सिंचित सड़क के पास राशि–268716/–रूपये व मौजा निम्बली की ...वित भूमि की डी.एल.सी.दर अंसिंचित सड़क से दूर राशि–183976/–रूपये प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की ...ल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार ग्राम श्रीराम नगर की कुल क्षेत्रफल 0.0267 हैक्टयर की कुल राशि–14400/–अक्षरे चौदह हजार चार सौ रूपयें व ग्राम निम्बली की कुल क्षेत्रफल 0.2014 हैक्टयर की कुल राशि–74110/–अक्षरे चौहत्तर हजार एक सौ रूपये दस रूप्ये मात्र विप्रार्थीगण को राशि दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

6.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा श्रीराम नगर के खेत खसरा संख्या 52/2 में लम्बाई 22 गढा व चौड़ाई 03 गढा क्षेत्रफल 0.0267 हैक्टयर भूमि की कुल राशि–14400/–अक्षरे चौदह हजार चार सौ रूपये व ग्राम निम्बली के खेत खसरा संख्या 90/6 में लम्बाई 100 गढा व चौड़ाई 03 गढा क्षेत्रफल 0.1213 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90/7 में लम्बाई 56 गढा व चौड़ाई 03 गढा क्षेत्रफल 0.0680 हैक्टयर व खसरा नम्बर 90/8 में लम्बाई 10 गढा व चौड़ाई 03 गढा क्षेत्रफल 0.0121 हैक्टयर भूमि की कुल राशि–74110/–अक्षरे चौहत्तर हजार एक सौ रूपये दस रूप्ये मात्र का भुगतान करतें हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग लाल कलर –––दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 07 को क्षतिपूर्ति कुल राशि–88510/–अक्षरे अठ्ठासी हजार पांच सौ दस रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान विप्रार्थी पक्ष को खसरान वाईज उनके हिस्सेनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ./वाद /2024/100 दिनांक 11.01.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 16.01.2024 को लिखा जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:39:17 IST
Reason: SelfAttested